

# फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

अजमेर

श्री अशरफ

बनाम पतारसी व अन्य

किस्म मुकदमा 88,53,188 नम्बर 86/2010.....सन .....

| तारीख पेशी | हुकम या कार्यवाही  | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए |
|------------|--|---|
| 10.01.2020 | <p>श्री</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकिल उभय पक्ष उपरिथत । परोकार सरकार द्वारा पत्रावली पर निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुति कि दिनांक 5.3.2009 के पश्चात न्यायालय आदेशिका दिनांक 23.12.2009, 25.3.2010, 5.5.2011, 4.5.12, 25.4.17, की पालना में आज दिवस तक रेस्पोंडेन्ट की तलवी हेतु नोटिस तलवाना पेश नहीं किए गए हैं। जिस हेतु अपीलान्ट द्वारा आदेशिका दिनांक 31.7.19, 28.8.19, 9.9.2019, 22.11.2019 को अन्तिम अवसर दिये जाने पर भी नोटिस तलवाना प्रस्तुत नहीं किए गए । दिनांक 5.3.2009 के पश्चात लगभग 10 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने तथा कई अवसर प्राप्त किए जाने के उपरान्त भी न्यायालय आदेश दिनांक 23.12.2009, 25.3.2010, 5.5.2011, 4.5.12, 25.4.17, 31.7.19, 28.8.19, 9.9.2019, 22.11.2019 की पालना नहीं की गई है। इसके बावजूद भी अपीलान्ट द्वारा आज दिवस तक न्यायालय आदेश की पालना नहीं की गई है जिसे न्यायालय आदेशों की अदम पालना में निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया ।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे परोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि होकर न्यायालय आदेश दिनांक 23.12.2009, 25.3.2010, 5.5.2011, 4.5.12, 25.4.17, 31.7.19, 28.8.19, 9.9.2019, की प्रभावी आदेशिका दिनांक 22.11.2019 के बावजूद गई अवसर प्राप्त किए जाने एवं दस वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी पालना नहीं की गई है। जिससे अपीलान्ट एवं उनके अधिवक्ता की उक्त अपील को चलाए जाने में ना तो किसी प्रकार की कोई रूचि प्रकृत होना प्रतीत होती है इस प्रकार कानूनी प्रावधानों के तहत उभय पक्षकार अपने हक अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहता है उसकी न्यायालय की किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकता है। अतः अपीलान्ट का अपील न्यायालय आदेशों की अदम पालना में निरस्त कर खारिज किया जाता है । पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> |   |

उपखण्ड अधिकारी  
अजमेर